मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः13.04.2026

एसओजी/सर्विलांस व थाना को0कटरा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में हत्या का वांछित व 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, मौके से अवैध तमंचा मय कारतूस व एक अदद मोबाइल फोन बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा पुरस्कार घोषित/इनामियाँ/गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिए गये हैं।

दिनांक-11.04.2026 को थाना को0कटरा पुलिस द्वारा क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 97/2026 धारा 103(1),352,351(3),3(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचना के दौरान अभियुक्त इंद्रासन बिंद पुत्र स्व0 गिरजा बिंद निवासी लोहदीकलां (लंका पहाड़ी) थाना को0देहात का नाम प्रकाश में आया है। उपरोक्त अभियोग में वांछित/फरार चल रहे अभियुक्त इंद्रासन बिंद पुत्र स्व0 गिरजा बिंद निवासी लोहदीकलां (लंका पहाड़ी) थाना को0देहात जनपद मीरजापुर की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया था। इस प्रकरण में थाना को0कटरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांक-13.04.2026 को थाना को0कटरा पुलिस को जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ की हत्या का वांछित अभियुक्त इंद्रासन बिंद पुत्र स्व0 गिरजा बिंद निवासी लोहदीकलां (लंका पहाड़ी) थाना को0देहात जनपद मीरजापुर के राजापुर गांव में छिपा हुआ है। प्राप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष को0कटरा व एसओजी टीम द्वारा तत्काल मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दिया गया तो पुलिस की आहट पाकर एक व्यक्ति घर से बाहर निकलकर चंद्रदीपा की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने लगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गयी तो अपने को पुलिस से घिरता देखकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ सीमित जवाबी फायरिंग की गयी तो उस व्यक्ति के दोनों पैरों में गोली लगी है। उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम इंद्रासन बिंद पुत्र स्व0 गिरजा बिंद निवासी लोहदीकलां (लंका पहाड़ी) थाना को0देहात जनपद मीरजापुर बताया जो थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 97/2026 धारा 103(1),352,351(3),3(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट का वांछित अभियुक्त है। जिसके उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रूपये का पुरस्कार पूर्व मे ही घोषित किया गया था की तलाशी ली गयी तो उसके पास से घटना में प्रयुक्त 1 अदद अवैध तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूश तमंचा के चेम्बर में फंसा हुआ 315 बोर एवं एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ है। थाना को0कटरा पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-100/2026, धारा-109(1), 352 बीएनएस, 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम इंद्रासन

बिंद उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त को इलाज हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त इंद्रासन बिंद पुत्र स्व0 गिरजा बिंद निवासी लोहदीकलां (लंका पहाड़ी) थाना को0देहात जनपद मीरजापुर द्वारा पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि राजेंद्र सोनकर मेरे ही गांव में रह रहे थे। वहीं पर मेरी उनसे जान पहचान हुई। हम लोग साथ साथ रह रहे थे। राजेंद्र की ही पुरानी चुनावी रंजिश राजीव सिंह से थी। घटना से 3 दिन पूर्व हम लोग प्रधान की हत्या की योजना बनाये और दिनांक 11/04/2026 हम लोगों द्वारा उनसी गोली मार कर हत्या कर दी गई और मौके से भाग गये।

पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त —

इंद्रासन बिंद पुत्र स्व0 गिरजा बिंद निवासी लोहदीकलां (लंका पहाड़ी) थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी —

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूश तमंचा के चेम्बर में फंसा हुआ व 1 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक राजीव सिंह प्रभारी एसओजी मय टीम

उ0नि0 वैद्यनाथ सिंह, थानाध्यक्ष को0कटरा मय पुलिस टीम।

****